प्रेस विज्ञप्ति
22/5/2024

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी), कोच्चि अंचल कार्यालय ने धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए), 2002 के प्रावधानों के तहत मेसर्स मास्टर फिनसर्व और अन्य के मामले में 15.05.2024 को ईबिन वर्गीज को गिरफ्तार किया।

ईडी ने भारतीय दंड संहिता 1860 के विभिन्न अनुभागों के तहत केरल पुलिस द्वारा त्रिक्काकारा पुलिस स्टेशन, कक्कनाड, केरल राज्य के एर्नाकुलम में दर्ज 03 प्राथमिकी के आधार पर आरोपी एबिन वर्गीज, मेसर्स मास्टर्स फिनसर्व के प्रोपराइटर और अन्य लोगों के खिलाफ आम जनता से धोखाधड़ी के मामले की जांच शुरू की। इसके बाद, जांच से पता चला है कि केरल राज्य द्वारा कई अन्य प्राथमिकी भी दर्ज की गई हैं, जिसमें यह पाया गया है कि उसने आम जनता को 73.9 करोड़ रुपये (लगभग) की धोखाधड़ी की है।

ईडी जांच से पता चला कि एबिन वर्गीज और अन्य लोगों ने बेईमानी से विभिन्न शिकायतकर्ताओं को पूंजी गारंटी के अलावा 18-24% प्रति वर्ष के उच्च रिटर्न का झूठा आश्वासन और मांग पर पूंजी की वापसी का विकल्प दिया और अपनी स्वामित्व वाले फर्म मेसर्स मास्टर्स फिनसर्व में शेयर ट्रेडिंग से लाभ उत्पन्न करने के बहाने निवेश के रूप में बड़ी मात्रा जमा करने के लिए प्रेरित और प्राप्त किया |

हालांकि, एबिन वर्गीज ने न तो मूल राशि चुकाई और न ही शिकायतकर्ताओं को कोई लाभ दिया।

ईडी जांच से पता चला कि एबिन वर्गीज ने जमा स्वीकार करते समय शिकायतकर्ताओं को झूठा प्रस्तुतीकरण पेश किया और उन्हें यह विश्वास दिलाया कि मैसर्स मास्टर्स फिनसर्व को सेबी द्वारा एक अधिकृत ब्रोकर के रूप में मान्यता मिली थी और उनके निवेश सुरक्षित थे। इसके अलावा, शेयर ट्रेडिंग के स्थान पर,उन्होंने इस तरह संभावित निवेशकों से एकत्रित फंड के एक बड़े हिस्से को जो अपराध की आय थी तीसरे पक्षों को विभिन्न स्तरों में विपथित (डायवर्ट) किया |

इस प्रकार, उन्होंने पीएमएलए 2002 के तहत मनी-लॉन्ड्रिंग का अपराध किया और शिकायतकर्ताओं/निवेशकों से प्राप्त कुल राशि के उपयोग का पूरा विवरण नहीं बताया | इसलिए,उन्हें 15.05.2024 को पीएमएलए, 2002 के प्रावधानों के तहत गिरफ्तार किया गया और 16.05.2024 को माननीय विशेष न्यायालय (पीएमएलए), (सीबीआई-III), एर्नाकुलम के समक्ष पेश किया गया । माननीय न्यायालय ने ईडी को 2 दिनों के लिए अभियुक्त की अभिरक्षा (कस्टडी)प्रदान की है।

इससे पहले, उक्त मामले में, ईडी कार्यालय ने 30.10.2023 को 09 परिसरों पर तलाशी ली थी और 06.02.2024 को अपराध की आय के रूप में अनंतिम रूप से 30.41 करोड़ रुपये की राशि भी कुर्क की थी।

आगे की जांच प्रक्रियाधीन है।